न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज सोलंकी

प्रकरण संख्या : 5/2014

उनवान मुकदमा

1. उत्तमचन्द पिता स्व. श्री रूपचन्द जाति भील उम्र 59 वर्ष धन्धा खेती व पेंशनर्स निवासी छोटी सरवन कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.)
2. सुरजमल पिता स्व. श्री रूपचन्द जाति भील उम्र 42 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. रामेश्वर पिता स्व. श्री रूपचन्द जाति भील उम्र 40 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.)
4. रामा पिता स्व. श्री धुवचन्द जाति भील उम्र 30 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. मुकेश पिता स्व. श्री धुवचन्द जाति भील उम्र 26 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती अता पुत्री स्व. श्री धुवचन्द (पत्नी श्री वालु) जाति भील उम्र 28 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवासी चन्द्रगढ तहसील सैलाना जिला रतलाम (म.प्र.)
7. श्रीमती ललीता पुत्री स्व. श्री धुवचन्द (पत्नी श्री विष्णु) जाति भील उम्र 24 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवासी शेरा तहसील बाजना जिला रतलाम (म.प्र.)

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन जि. बांसवाड़ा (राज.)

क्रमशः.....2

Scanned with OKEN Scanner

8. श्रीमती कंचन पुत्री स्व. श्री रूपचन्द (पत्नी श्री कैलाश) जाति भील उम्र 56 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवासी गोपालपुरा तहसील सैलाना जिला रतलाम (म.प्र.)

9. श्रीमती राधा पुत्री स्व. श्री रूपचन्द (पत्नी श्री हरू) जाति भील उम्र 40 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवासी सेमलखेडा तहसील सैलाना जिला रतलाम (म.प्र.)

10. श्रीमती सुगना पुत्री स्व. श्री रूपचन्द (पत्नी श्री मालीया) जाति भील उम्र 38 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) हाल निवासी केलीयापाडा फेफर तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)

11. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री रूपचन्द (पत्नी श्री मांगीलाल) जाति भील उम्र 36 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) हाल निवासी वोडी तेजपुर सेमलखेड़ा तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. श्री सवा पिता श्री नरू जाति भील उम्र 45 वर्ष अन्दाजन धन्धा खेती निवासी छोटी सरवन कमलीपाड़ा तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.)

2. श्री राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)

– प्रतिवादीगण

<u>अभिभाषकगण</u> :-

श्री अब्दुल वहाब – वकील वादीगण

श्री राजेन्द्र शुक्ला – वकील प्रतिवादी संख्या 1

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

क्रमशः....3

छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक.....

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद–पत्र प्रस्तुत किया कि वादीगण संख्या 1 से 3 व 8 से 11 के दादा एवं वादीगण संख्या 4 से 7 के परदादा स्व. श्री देवा पिता श्री दीपा थे। वादीगण संख्या 4 से 7 के पिता श्री धुवचन्द थे। वादीगण की वंशावली निम्नप्रकार हैं –

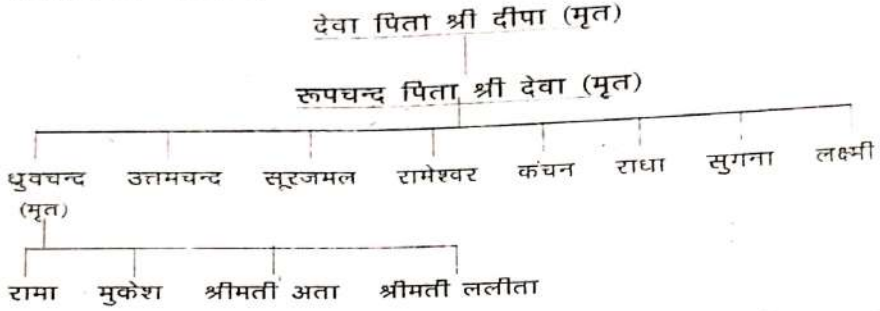

यह कि, वादीगण के पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 382 (नया) व 352 (पुराना) का खसरा संख्या 787 क्षेत्रफल 7.06 (7 बीघा 06 बिस्वा) लगान रूपया 4.31 पैसा वाके छोटी सरवन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दानपुर तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि का मूल खातेदार वादीगण संख्या 1 से 3 व 8 से 11 के दादा एवं वादीगण संख्या 4 से 7 के परदादा (दादा के पिता) स्व. श्री देवा पिता श्री दीपा अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा श्री देवा पिता श्री दीपा की मृत्यु के पश्चात वादीगण के पिता व दादा श्री रूपचन्द अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत उत्तराधिकारी मालिक निरन्तर काबिज काश्त चले आतें रहे। श्री रूपचन्द के देहान्त के पश्चात् से वादीगण बहैसियत वारीसान मालिक निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज काश्त है।

वादीगण के पूर्वजो अथवा वादीगण ने उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को रहन, विक्रय अथवा किसी प्रकार से हस्तान्तरीत नहीं की है। वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 अथवा अन्य किसी का किसी प्रकार से उक्त कृषि भूमि पर कोई हक, हिस्सा, स्वत्व व अधिकार नहीं है।

माह जनवरी सन् 2014 में एक दिन वादीगण को उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित नकलो की आवश्यकता होने से श्री पटवारी, पटवार हल्का छोटी सरवन के पास जाने से ज्ञात हुआ कि उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के

क्रमशः.....4

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस पर से वादीगण ने उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित नकले प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की जानकारी के बिना (विहाईन्ड द बैक) राज्य कर्मचारीयो से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम विधि विरूद्ध दर्ज करा ली है।

वाद चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर किये गये समस्त अमल दरामद एवं इन्द्राजात विधि विरूद्ध होकर वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, स्वत्व व आधिपत्य न ता कभी रहा हैं ना ही है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर किये गये समस्त अमल दरामद एवं इन्द्राजात को विधि विरूद्ध एवं वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य घोषित कर निरस्त किये जाकर उक्त कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने हेतु उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

वाद का व्यवहार कारण माह जनवरी 2014 में एक दिन एवं तत्पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपीया लेने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री पारित किये जाने निवेदन किया कि वाद चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 382 (नया) व 352 (पुराना) का खसरा संख्या 787 क्षैत्रफल 7.06 (7 बीघा 06 बिस्वा) लगान रूपया 4.31 पैसा वाके छोटी सरवन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दानपुर तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर किये गये समस्त अमलदरामद एवं इन्द्राजात को विधि विरूद्ध एवं वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य घोषित किया जाकर निरस्त फरमाया जावे एवं वाद चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करना फरमावे। इस बाबत प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश फरमावे। तदनुसार डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिन्होने मार्फत अधिवक्ता जवाबदावा निम्नानुसार पेश किया :-

क्रमश.....5

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि, प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद–पत्र में वर्णित कथनो को अस्वीकार किया तथा वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण प्रविष्टि के आधार पर रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज होने का कथन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि उसने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि देवा पिता श्री दिपा आदिवासी निवासी कमलीपाड़ा छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.) से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा नियमानुसार कीमतन क्रय किया है। जिसके आधार पर ही रेवेन्यू रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार नियमानुसार दर्ज हुआ है तथा विगत लम्बे समय से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि पर काबिज हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे यह कथन किया कि वह वृद्ध होकर ना समझ हैं तथा इसकी वृद्धा पत्नी हैं और एक लडका हैं जो कि मजदुरी करता है। परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं हैं। जिस कारण वादीगण दुर्भावनावश प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त कृषि भूमि को येनकेन प्रकारेण हडपना चाहते है तथा वादीगण का वाद निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तुत वाद एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई :–

1. आया वाद चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का मूल खातेदार वादीगण के पूर्वज स्व. देवा पिता दीपा थे। स्व. देवा के देहान्त के पश्चात् रूपचन्द तथा रूपचन्द के पश्चात् वादीगण बहैसियत वारीसान मालिक निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज काश्त हैं?

– वादीगण

2. आया वाद चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की जानकारी के बिना (बिहाईन्ड द बैक) राज्य कर्मचारीयों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किये गये समस्त अमलदरामद एवं इन्द्राजात विधि विरूद्ध होकर वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य है?

– वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन (राज.)

क्रमश.....6

3 आया वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने देवा पिता श्री दीपा आदिवासी निवासी कमलीपाडा छोटी सरवन से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय विलेख द्वारा कीमतन क्रय की है ? — प्रतिवादी संख्या-1

4 दादरसी।

वादीगण ने अपनी साक्ष्य में PW1 उत्तमचन्द, PW2 नानकराम व PW3 तुलसीराम के बयान बाबत् शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जिनसे वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जिरह की गई। वादीगण ने वाद के साथ प्रमाणित नकलें पेश की जो नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रम संख्या 182 दिनांक 07/05/1971 प्रदर्श –1, जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 तक प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 तक प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत् 2038 से 2041 प्रदर्श–4, जमाबन्दी संवत् 2043 से 2046 तक प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत 2047 से 2050 तक प्रर्दश –6, जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत् 2059 स 2062 प्रदर्श–8, जमाबन्दी सवत 2066 से 2069 प्रदर्श–9, खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2013 तक प्रदर्श–10, खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017 तक प्रदर्श–11, खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2018 तक प्रदर्श–12, खसरा गिरदावरी संवत 2018 से 2021 तक प्रदर्श–13, खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2025 तक प्रदर्श–14, खसरा गिरदावरी संवत 2023 से 2026 तक प्रदर्श–15 व खसरा गिरदावरी संवत 2027 से 2030 तक प्रदर्श–16 है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की, ना ही कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 1 को साक्ष्य पेश करने हेतु कई मौके दिये गये। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य बन्द की गई।

वादीगण की साक्ष्य में PW1 उत्तमचन्द ने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा मुख्य बयान में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते कथन किया कि वादीगण के पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 382 (नया) व 352 (पुराना) का खसरा संख्या 787 क्षैत्रफल 7.06 (7 बीघा 06 बिस्वा) लगान रूपया 4.31 पैसा वाके छोटी सरवन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दानपुर तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि का मूल खातेदार वादीगण संख्या 1 से 3 व 8 से 11 के दादा एवं वादीगण संख्या 4 से 7 के परदादा (दादा के पिता) स्व. श्री देवा पिता श्री दीपा अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा श्री देवा पिता श्री दीपा की

क्रमशः.....7

उपखण्ड ... छोटी सरवन, ... (राज.)

मृत्यु के पश्चात वादीगण के पिता व दादा श्री रूपचन्द अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत उत्तराधिकारी मालिक निरन्तर काबिज काश्त चले आते रहे। श्री रूपचन्द के देहान्त के पश्चात् से वादीगण बहैसियत वारीसान मालिक निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज काश्त है।

वादीगण के पूर्वजो अथवा वादीगण ने उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का रहन, विक्रय अथवा किसी प्रकार से हस्तान्तरीत नहीं की है। वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 अथवा अन्य किसी का किसी प्रकार से उक्त कृषि भूमि पर कोई हक, हिस्सा, स्वत्व व अधिकार नहीं है।

माह जनवरी सन् 2014 में एक दिन वादीगण को उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित नकलो की आवश्यकता होने से श्री पटवारी, पटवार हल्का छोटी सरवन के पास जाने से ज्ञात हुआ कि उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस पर से वादीगण ने उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित नकले प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की जानकारी के बिना (बिहाईन्ड द बैक) राज्य कर्मचारीयों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम विधि विरूद्ध दर्ज करा ली है।

वाद चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर किये गये समस्त अमल दरामद एवं इन्द्राजात विधि विरूद्ध होकर वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, स्वत्व व आधिपत्य न तो कभी रहा हैं ना ही है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर किये गये समस्त अमल दरामद एवं इन्द्राजात को विधि विरूद्ध एवं वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य घोषित कर निरस्त किये जाकर उक्त कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने हेतु उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा जिरह में गवाह ने वादग्रस्त कृषि भूमि अपने दादा देवा द्वारा बेचान किये जानेसे इनकार किया तथा प्रतिवादी सवा का नामान्तरकरण गलत खोला जाने का कथन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्वयं वादीगण द्वारा काश्त किये जाने व कब्जा होने बाबत् कथन किया तथा प्रतिवादी सवा द्वारा काश्त करने व उसका कब्जा होने से इंकार किया। उक्त जमीन पर स्वयं के तीन आम के पेड़ व दो कुएँ होने बाबत् कथन किया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन (राज.)

क्रमशः.....8

Scanned with OKEN Scanner

गवाह PW2 नानकराम ने अपने मुख्य बयान शपथ पत्र में वाद-पत्र व वादी उत्तमचन्द के बयान के समर्थन में कथन किये तथा जिरह में वादग्रस्त कृषि भूमि सवा को बेचे जाने बाबत् इंकार किया तथा कहा कि उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी सवा नहीं कमा रहा हैं तथा वादी उत्तम कमा रहा है।

गवाह PW3 तुलसीराम अपने मुख्य बयान शपथ-पत्र में वाद पत्र व वादी उत्तमचन्द के बयान के समर्थन में कथन किये तथा जिरह में वाद ग्रस्त कृषि भूमि पर वादी उत्तम कमा रहा है, ऐसा कथन किया तथा प्रतिवादी सवा द्वारा उक्त कृषि भूमि पर नहीं कमाने बाबत् कथन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 सवा द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की तथा ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये।

प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 382 (नया) व 352 (पुराना) का खसरा संख्या 787 क्षैत्रफल 7.06 (7 बीघा 06 बिस्वा) लगान रूपया 4.31 पैसा वाके छोटी सरवन भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दानपुर तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि का मूल खातेदार वादीगण संख्या 1 से 3 व 8 से 11 के दादा एवं वादीगण संख्या 4 से 7 के परदादा (दादा के पिता) स्व. श्री देवा पिता श्री दीपा अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा श्री देवा पिता श्री दीपा की मृत्यु के पश्चात वादीगण के पिता व दादा श्री रूपचन्द अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत उत्तराधिकारी मालिक निरन्तर काबिज काश्त चले आते रहे। श्री रूपचन्द के देहान्त के पश्चात् से वादीगण बहैसियत वारीसान मालिक निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज काश्त है।

वादीगण के पूर्वजो अथवा वादीगण ने उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को रहन, विक्रय अथवा किसी प्रकार से हस्तान्तरीत नहीं की है। वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 अथवा अन्य किसी का किसी प्रकार से उक्त कृषि भूमि पर कोई हक, हिस्सा, स्वत्व व अधिकार नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

माह जनवरी सन् 2014 में एक दिन वादीगण को उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित नकलो की आवश्यकता होने से श्री पटवारी, पटवार हल्का छोटी सरवन के पास जाने से ज्ञात हुआ कि उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस पर से वादीगण ने उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित नकले प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की जानकारी के बिना (बिहाईन्ड द वैक) राज्य कर्मचारीयों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम विधि विरूद्ध दर्ज करा ली है।

वाद चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर किये गये समस्त अमल दरामद एवं इन्द्राजात विधि विरूद्ध होकर वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, स्वत्व व आधिपत्य न तो कभी रहा हैं ना ही है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर किये गये समस्त अमल दरामद एवं इन्द्राजात को विधि विरूद्ध एवं वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य घोषित कर निरस्त किये जाकर उक्त कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने हेतु उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद–पत्र में वर्णित कथनो को अस्वीकार किया तथा वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण प्रविष्टि के आधार पर रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज होने का कथन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि उसने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि देवा पिता श्री दिपा आदिवासी निवासी कमलीपाड़ा छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा नियमानुसार कीमतन क्रय किया है। जिसके आधार पर ही रेवेन्यू रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार नियमानुसार दर्ज हुआ हैं तथा विगत लम्बे समय से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि पर काबिज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे यह कथन किया कि वह वृद्ध होकर ना समझ है तथा इसकी वृद्धा पत्नी हैं और एक लड़का हैं जो कि मजदुरी करता है। परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं हैं। जिस कारण वादीगण दुर्भावनावश प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

क्रमशः....10

से उक्त कृषि भूमि को येनकेन प्रकारेण हडपना चाहते है तथा वादीगण का वाद निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किय तथा प्रकरण में दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दावा एवं जवाबदावा तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहो एव दस्तावेजो पर मनन करते हुए तनकीवार निर्णय इस प्रकार किया जाता है :-

तनकी नम्बर – 1

आया वाद चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का मूल खातेदार वादीगण के पूर्वज स्व. देवा पिता दीपा थे। स्व. देवा के देहान्त के पश्चात् रूपचन्द तथा रूपचन्द के पश्चात् वादीगण बहैसियत वारीसान मालिक निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज काश्त है?

उक्त तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि का मूल खातेदार वादीगण के पुर्वज स्व. श्री देवा पिता दिपा था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा वादीगण के साक्षियों के कथन से भी यह तथ्य साबित होता हैं कि स्व. देवा के देहान्त के पश्चात रूपचन्द तथा रूपचन्द के देहन्त के पश्चात वादीगण बहैसियत वारसान मालिक निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज काश्त है। इसके खण्डन में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। भू–अभिलेख निरिक्षक व पटवारी से तथ्यों की जांच करवाई गई। मौका पर्चा भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा दिनांक 29/07/2016 को पटवारी, गिरदावर से कराई जांच मौका पर्चा व रिपोर्ट अनुसार ग्राम छोटी सरवन कमलीपाडा में मृतक देवा पिता श्री दिपा का पुत्र रूपचन्द व रूपचन्द के पुत्रगण व पुत्रीया ध्रुवचन्द, उत्तमचन्द, सुरजमल, रामेश्वर, कंचन, राधा, सुगना व लक्ष्मी है। प्रतिवादी संख्या 1 सवा पिता नरू है। सवा देवा का पुत्र नहीं है। मोका पर्चा पत्रावली में संलग्न है। अतः वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1 अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है । उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

क्रमश.....11

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नम्बर – 2

आया वाद चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की जानकारी के बिना (बिहाईन्ड द बैक) राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किये गये समस्त अमलदरामद एवं इन्द्राजात विधि विरूद्ध होकर वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य है?

उक्त तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि का मूल खातेदार वादीगण के पूर्वज देवा पिता श्री दीपा थे। देवा पिता श्री दीपा के देहान्त के पश्चात् कृषि भूमि का नामान्तरकरण नियमानुसार देवा के पुत्र रूपचन्द व रूपचन्द के देहान्त के पश्चात् रूपचन्द के वारीसान वादीगण के नाम पर खोला जाना चाहिये था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की जानकारी के बिना (बिहाईन्ड द बैक) अपने नाम पर विधि विरूद्ध दर्ज करा ली हैं। प्रतिवादी संख्या 1 सवा द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में यह अंकित किया गया हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने देवा पिता दीपा से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय विलेख नियमानुसार कीमतन क्रय की है। जिसके आधार पर रेवेन्यू रेकार्ड में प्रतिवाद संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार नियमानुसार दर्ज हुआ है।

परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने इस सम्बन्ध में न तो दस्तावेज विक्रय विलेख पेश किया हैं न ही इसके समर्थन में स्वयं की साक्ष्य पेश की है। ना ही किसी स्वतंत्र साक्षी को गवाह के रूप में पेश किया गया हैं, जिससे कि वादग्रस्त कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख कीमतन क्रय करने का तथ्य साबित हो सके।

अतः वादीगण अपनी साक्ष्य से यह सिद्ध करने में सफल रहा हैं कि लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की जानकारी के बिना (बिहाईन्ड द बैक) अपने नाम पर विधि विरूद्ध दर्ज करा ली हैं। इसके खण्डन में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वादीगण यह तनकी अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा हैं। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के हक में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

क्रमश.....12

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नम्बर – 3

आया वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने देवा पिता श्री दीपा आदिवासी निवासी कमलीपाड़ा छोटी सरवन से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय विलेख द्वारा कीमतन क्रय की है ?

उक्त तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने भार प्रतिवादी संख्या 1 पर हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में यह कथन किया हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता दीपा से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय विलेख क्रय की है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न तो दस्तावेज पेश किया हैं न ही अपने जवाबदावा में वर्णित कथनो के समर्थन में अपनी व अपने किसी गवाह को साक्ष्य में पेश किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 यह सिद्ध नहीं कर पाया हैं कि उसने वादग्रस्त कृषि भूमि क्रय की थी तथा वादगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यो का खण्ड़न नहीं कर पाया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 उक्त तनकी संख्या 3 सिद्ध नहीं कर पाया हैं तथा उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

मैने पत्रावली का गंभीरता पूर्वक मनन व अवलोकन किया। वाद–पत्र, जवाबदावा, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व गवाहो की साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पुर्वज मूल पुरूष देवा पिता दीपा के निर्विवाद एकल स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जे की थी। देवा के देहान्त के पश्चात् कृषि भूमि का नामान्तरकरण नियमानुसार देवा के पुत्र रूपचन्द व रूपचन्द के देहान्त के पश्चात् रूपचन्द के वारीसान वादीगण के नाम पर खोला जाना चाहिये थे। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि गलत तरीके से राजस्व अभिलेख में वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की जानकारी के बिना अपने नाम विधि विरूद्ध दर्ज करा ली हैं, जो वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि खरीदने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई हैं। वादीगण ने अपना दावा अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखुबी प्रमाणित किया है। भू–अभिलेख निरिक्षक व पटवारी से तथ्यों की जांच करवाई गई। मौका पर्चा भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा दिनांक 29/07/2016 को पटवारी, गिरदावर से कराई जांच मौका पर्चा व रिपोर्ट अनुसार ग्राम छोटी सरवन कमलीपाड़ा में मृतक देवा पिता श्री दिपा का पुत्र रूपचन्द व रूपचन्द के पुत्रगण व पुत्रीया धुवचन्द, उत्तमचन्द,

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

क्रमश.....13

Scanned with OKEN Scanner

सुरजमल, रामेश्वर, कंचन, राधा, सुगना व लक्ष्मी है। प्रतिवादी संख्या 1 सवा पिता नरू है। सवा देवा का पुत्र नहीं है। वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होना भी साबित है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 382 (नया) व 352 (पुराना) का खसरा संख्या 787 क्षैत्रफल 7.06 (7 बीघा 06 बिस्वा) लगान रूपया 4.31 पैसा वाके छोटी सरवन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दानपुर तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर किये गये समस्त अमलदरामद व इन्द्राजात को विधि विरूद्ध व वादीगण के हितो पर प्रभावहीन व शुन्य घोषित किये जाकर निरस्त किये जाते हैं एवं वाद चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 382 (नया) व 352 (पुराना) का खसरा संख्या 787 क्षैत्रफल 7.06 (7 बीघा 06 बिस्वा) लगान रूपया 4.31 पैसा वाके छोटी सरवन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दानपुर तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) का प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस बाबत् प्रविादी संख्या 2 तहसीलदार, तहसील छोटी सरवन को आदेशित किया जाता है।

डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 24/02/2022 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 17 जाब्ता दिवानी)

आज अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम : छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा व इजलास श्री मनोज सौलकी, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी छोटीसरवन

वादी

1. उत्तम पिता स्व. रूपचन्द जाति भील निवासी कमलीपाडा छोटीसरवन।
2. सुरजमल पिता स्व. रूपचन्द जाति भील निवासी कमलीपाड़ा दोटीरवन।
3. रामेश्वर पिता स्व. रूपचन्द जाति भील निवासी कमलीपाड़ाछोटीसरवन।
4. रामा पिता स्व.ध्रुवचन्द जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन।
5. मुकेश पिता स्व. ध्रुवचन्द जाति भील निवासी कमलीपाड़ छोटीसरवन।
6. श्रीमति अता पुत्री स्व.ध्रुवचन्द (पत्नि वालु)जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन हाल चन्द्रगढ़ सेलाना म.प्र.।
7. श्रीमति ललिता पुत्री स्व.ध्रुवचन्द (पत्नि विष्णु) जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन हाल शेरा तहसील बाजना।
8. श्रीमति कचंन पुत्री स्व. ध्रुवचन्द (पत्नि कैलाष) जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन हाल गोपालपुरा तहसील बाजना।
9. श्रीमति राधा पुत्री स्व. ध्रुवचन्द जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन हाल सेमलखेड़ा बाजना।
10. श्रीमति सुगना पुत्री स्व. ध्रुवचन्द (पत्नि मालीया) जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन हाल केलियापाड़ा फेफर।
11. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री स्व. ध्रुवचन्द (पत्नि मॉगीलाल) जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन हाल घोड़ीतेजपुर सेमलखड़ा।

अभिभाषक–श्री अब्दुल वहाब

–प्रतिवादीगण

1. सवा पिता नरू जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार तहसील छोटीसरवन।

अभिभाषक– श्री राजेन्द्र शुक्ला,

3. मुकद्मा नम्बर :– 5/2014

अन्तर्गत धारा 88,209 रा.का.अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजिर वकील वादीगण श्री अब्दुल वहाब जानिब प्रतिवादीगण वकील श्री राजेन्द्र शुक्ला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि –

अतः राजस्व ग्राम छोटीसरवन, पटवार मण्डल छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा स्थित खाता संख्या 382 (नया) 352 (पुराना) के सर्वे नम्बर खसरा नंबर 787 क्षैत्रफल 7.06 हेक्टयर (7 बीघा 6 बिस्वा) कुल लगान रूपया 4.31 पैसा प्रतिवादी संख्या एक के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के पुर्व के तथाकथित नामान्तरणकरण व उनकी राजस्व अभिलेखिया प्रविष्ठिया गैरकानुनी होने से निरस्त कर

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अभिलेख की शुद्धि किये जाने के आदेष दिए जाते है। तदनुसार अन्तिम डिगरी जारी की जाती है।

नोज..... मुबलिग ..... बाबत..... ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह .....प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....का अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/9/22 को जारी की गई।

मुहर

(मनोज सोलंकी)
उपखण्ड अधिकारी,
छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्धालय	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		मुतफरिक	

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुछ खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरीये दिलाया हो या नही दर्ज कराना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner